



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: एफ-9(60)/स्टोर/वाहन/2024-25/646

दिनांक: 08.04.2024

## कोटेशन के लिए अनुरोध - 01/2024-25

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर में विधिक सेवा के प्रचार-प्रसार एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवीन वाहन (Toyota Innova hicross hybrid zxo-7s) क्रय किया गया है। उक्त वाहन में एसेसरीज लगवाये जाने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत फर्म/संवेदकों से दरें प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कोटेशन आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	ब्राण्ड का नाम	दर राशि रूपये में (सभी कर सहित)
1	Rear Bike Protector		
2	Side Foot Rest		
3	Flag Rod		
4	सायरन (आहूजा ब्राण्ड) समस्त आवश्यक उपकरण सहित		
<b>Total</b>			

कोटेशन के लिए अनुरोध दिनांक 12.04.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक बन्द लिफाफों में स्वीकार किये जायेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशन दाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 24,000/- रूपये व्यय होना सम्भावित है।

कोटेशन के लिए अनुरोध की शर्तें:-

1. उक्त सभी सामग्री फर्म के प्रशिक्षित सर्विस मैकेनिकों द्वारा ही किया जावेगा।
2. सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. वाहन में उक्त सभी सामग्री कार्यालय में उपस्थित होकर संस्थापित करनी होगी।
4. उक्त सभी सामग्री में कोई भी उपकरण विभाग के निर्देशानुसार ही लगाया जायेगा।
5. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा जी.एस.टी., सर्विस चार्ज एवं अन्य किसी भी प्रकार का चार्ज देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
6. उक्त सामग्री वाहन में लगाये जाने के दौरान वाहन में कोई क्षति होती है, तो इसके लिए स्वयं कोटेशन दाता उत्तरदायी होगा।
7. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
8. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होंगी।
9. कोटेशन के साथ अधिकृत व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. सारणी में दर्शित सामग्री के लिये प्राप्त दरों में अलग-अलग L-1 आने पर अलग-अलग फर्मों को भी कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।
11. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होंगी।

निदेशक 8.4.24

क्रमांक: एफ-9(60)/स्टोर/वाहन/2024-25/647-650

दिनांक: 8/4/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. मैसर्स .....
4. सम्बंधित/रक्षित पत्रावली।

उप सचिव-प्रथम  
(स्टोर प्रभारी)